

सीएसआईआर-मानव संसाधन विकास समूह परिसर; नयी दिल्ली

अतिरिक्त भित्ति अनुसंधान प्रभाग-II

पीएफएमएस/ईएटी/ईएमआर-II

दिनांक;27.07.2023

परिपत्र

पीएफएमएस में व्यय, अग्रिम और स्थानांतरण (ईएटी) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के संबंध में।

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने कार्यालय जापन संख्या एफ संख्या 3/(16)/पीएफएमएस/2022, दिनांक 2 जून, 2023 के माध्यम से सीएसआईआर/वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) को छूट प्रदान की है। व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने डीएसआईआर योजना कोड 1827 की "क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास" योजना के संबंध में व्यय विभाग के दिनांक 9 मार्च, 2022 के कार्यालय जापन के माध्यम से अनिवार्य निधि प्रवाह तंत्र को विनियमित करने के लिए मॉडल-1 के अनिवार्य संचालन से छूट प्रदान की है और इसके साथ उनके (अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों/ कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए)/ विश्वविद्यालय/ संस्थान/ संगठनों के) वाणिज्यिक बैंक खातों में धन जारी करने के लिए भी अनुमति प्रदान किया है।

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यह दोहराया गया है कि ईएमआर - एचआरडीजी, वित्तीय वर्ष के लिए IA को एक किस्त में निर्धारित राशि का 25% से अधिक जारी नहीं कर सकता है। धनराशि की अगली किस्त IA को पहले जारी की गई धनराशि का कम से कम 75% उपयोग करने के बाद ही जारी की जा सकती है। डीएसआईआर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी IA पीएफएमएस के ईएटी (EAT) मॉड्यूल में पंजीकृत हैं और ईएटी मॉड्यूल का उपयोग करके ही IA द्वारा दायर किए गए व्यय की नियमित रूप से निगरानी करनी चाहिए।


1. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों से अनुरोध है कि वे पीएफएमएस के ईएटी मॉड्यूल पर स्वयं को पंजीकृत करें और सीएसआईआर - एचआरडीजी से धन प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए नीचे दिए गए कोड के साथ स्वयं को अविलम्ब MAP भी करें।

(i) योजना संख्या 1827 है

(ii) एजेंसी अद्वितीय कोड: ININ00006418 (सीएसआईआर-ईएमआर के संबंध में)।

2. जिला स्तर पर उपरोक्त योजना और एजेंसी कोड के साथ स्वयं को मैप करने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए ईएमआर-II, सीएसआईआर-एचआरडीजी को soemr2@csirhrdg.res.in, madhuranjan@csirhrdg.res.in, पर सूचित किया जा सकता है।

3. इससे पहले उन्हें (आईए) कार्यान्वयन एजेंसियों के एडमिन आईडी या ऑपरेटर आईडी के माध्यम से लॉग इन करना चाहिए। योजना 1827 के "ग्रांट-इन-एड (सामान्य)" के तहत धनराशि प्राप्त करने के लिए fund source: "Miscellaneous", Fund type "Grant-in-Aid", Fund received from




EMR, Sanction: "Sanction Letter number of EMR communicating the fund sanction".
यह मेनू के माध्यम से किया जा सकता है: "My funds" फिर "Income from other sources."

3. सभी अनुदान प्राप्त संस्थानों को सलाह दी जाती है कि वे "अनिवार्य रूप से" प्रत्येक व्यय, ईएमआर द्वारा प्रदान की गई धनराशि से, केवल पीएफएमएस के ईएटी मॉड्यूल में उपयोग करके करें। अन्यथा पीएफएमएस में निधि उपलब्ध दिखाई देती रहेगी और आगे धनराशि वितरित नहीं की जा सकेगी।

4. अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों को सलाह दी जाती है कि वे अपना प्रत्येक व्यय डिजिटल हस्ताक्षर के बिना पीपीए (इलेक्ट्रॉनिक-सलाह-भुगतान मोड) के माध्यम से "अनिवार्य रूप से" करें।

5. यदि अनुदान प्राप्तकर्ता संस्था/संगठन/आईए भारत सरकार की किसी भी योजना पर पीएफएमएस पर नहीं हैं, तो योजना को ईएमआर -सीएसआईआर-एचआरडीजी द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों से साक्ष्य के साथ उनके (आईए) केवाईसी विवरण प्राप्त करके पंजीकृत किया जाएगा, जिसके लिए अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों की ओर से पंजीकृत ईमेल आईडी पर सूचित कर आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


27/7/2023
(मधुरंजन पाण्डेय)

अवर सचिव - ईएमआर-II)

प्रति ;

1. ईएमआर-II सीएसआईआर एचआरडीजी के सभी अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान
2. सीएसआईआर-एचआरडीजी वेबसाइट
3. प्रमुख के निजी सचिव
4. ईएमआर (फिन)
5. गार्ड फ़ाइल

**CSIR -Human Resource Development Group Complex; New Delhi
Extra Mural Research Division-II**

No. PFMS/EAT/EMR-II/

Dated;26.07.2023

Circular

Implementation of Expenditure, Advance and Transfer (EAT) Module in PFMS regarding.

The Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India vide their OM No. F. No. 3/(16)/PFMS/2022, Dated 2nd June, 2023 granted exemption to CSIR/Department of Scientific and Industrial Research (DSIR) from mandatory operation of Model-I for regulating the fund flow mechanism mandated vide DoE's OM dated 9th March, 2022 in r/o "Capacity Building and Human Resource Development" Scheme of DSIR scheme code 1827 and also to release funds to the accounts maintained with commercial bank accounts of grantee institutions /Implementing Agencies(IAs)/ University/ Institute/ organisations.


It has further been approved by DoE/MoF that EMR-HRDG may release not more than 25% of the amount earmarked for the IAs/Grantee institutions /Universities/ Institutes/ organisations for the financial year in one instalments. Next instalment of funds may be released after utilization of at least 75% of the funds released earlier to the IA. DSIR should ensure that all IAs are registered in EAT module of PFMS first and should regularly monitor expenditure filed by IAs using the EAT module.

1. If, grantee institutions, as IAs, are already on PFMS (receiving grants from any of the Schemes of GoI) they have to just MAP themselves with "Capacity Building and Human Resource Development" Scheme having code 1827 and inform the CSIR-HRDG-EMR immediately. The details for mapping themselves with the scheme are given as under:
 - (i) The Scheme number is 1827 and
 - (ii) Agency Unique Code: ININ00006418 (in respect of CSIR-EMR).
2. After mapping themselves with above scheme and agency code at district level the same may be informed to EMR-II vide email on email ids soemr2@csirhrdg.res.in, madhuranjan@csirhrdg.res.in, CSIR-HRDG for further action in the matter.



3. Before that they (IAs) should go to login through implementing agencies admin ID or operator ID to receive the funds as under "Grant-in-Aid (General)" of the scheme 1827 i.e. fund source: "Miscellaneous", Fund type "Grant-in-Aid", Fund received from EMR, Sanction: "Sanction Letter number of EMR communicating the fund sanction". This can be done through menus: "My funds" then: "Income from other sources" and then add new.
4. All grantee institutions are advised to "Mandatorily" make every expenditure, out of funds provided by EMR, by using in EAT module of PFMS only. Otherwise fund will continue to show as available in PFMS and further funds may not get disbursed.
5. The grantee institutions are further advised to preferably make every expenditure through enabling PPA (Electronic -Advice-Payment Mode) without digital signature.
6. If the grantee institution/ organization/IAs are not on PFMS on any scheme of Government of India, then the scheme shall be registered by EMR CSIR-HRDG obtaining their (IAs) KYC details along with evidence from the registered Email ID implementing agencies for which necessary steps may be taken at the grantee institutions end.

This issues with the approval of Competent Authority.


26/7/2023
(Madhuranjan Pandey)
(Under Secretary EMR-II)

Copy to;

1. All grantee Institutions of EMR-II CSIR HRDG
2. CSIR-HRDG Website
3. PS to Head
4. EMR(Fin)
5. Guard file